संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-33(बजट)/12टी0सी0

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय जनपद लखीमपुर खीरी के भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 61.73 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9527/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 08.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-621/पांच-6-2013-33(बजट)/12, दिनांक 30.03.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2013 द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय भवन निर्माण कार्य की रू0 171.06 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 232.79 लाख मूल्यांकित की गयी है।

2. अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर प्रश्नगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कुल रू0 232.79 लाख (रूपया दो करोड़ बत्तीस लाख उन्यासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अन्तर की कुल धनराशि रू0 61.73 लाख (रू0 इक्सठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा शासनादेश संख्या-621/पांच-6-2013-33(बजट)/12, दिनांक 30.03.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

3. उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्वय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-17-मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय/ अपर निदेश कार्यालय भवन का निर्माण भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 233/2016/1987 **(1)/पांच-6-2016, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट/अधिशासी अभियन्ता) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
9. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, नियोयजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।/वेब मास्टर हेतु/

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 31/2016/ /पॉच-6-2016-53(निर्माण)/12

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 31 सितम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथ0स्वा0केन्द्र, धुमरी, एटा के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9025/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 04.07.2016 व शासनादेश संख्या-यू.ओ.-298/26-ब.प्र.-2006 दिनांक 26.04.2016 व शासनादेश संख्या-427/26-ब.प्र.-2006 दिनांक 26.04.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्राथ0स्वा0केन्द्र, धुमरी, एटा के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-39.11 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश दिनांक 01.07.13 द्वारा रू0- 62.24 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति निर्गत की गयी। पुन: उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-83.57 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के आधार पर प्राथ0स्वा0केन्द्र, धुमरी, एटा के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-83.57 लाख (रूपया तिरासी लाख सत्तावन हजार मात्र) की पुन: पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं पुनरीक्षित लागत व पुन: पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0-21.33 लाख (रूपया इक्कीस लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-यू.ओ.-298/26-ब.प्र.-2006 दिनांक 26.04.2016 व शासनादेश संख्या-427/26-ब.प्र.-2006 दिनांक 26.04.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य

बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10)प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11)कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 06 माह के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(12)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्यां-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-789-अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन (जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-234 /2016/ 1669 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, एटा ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
10- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कांसगंज।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4/ समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में/वेब मास्टर हेतु।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-53(निर्माण)/12

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथ0स्वा0केन्द्र, अरौल, कानपुर नगर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9041/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 04.07.2016 तथा शासनादेश संख्या-यू.ओ.-621/26-ब.प्र.-2005 दिनांक 27.07.2005, शासनादेश संख्या-234/26-ब.प्र.-2008-159(निर्माण)/2006 दिनांक 31.03.2008 व शासनादेश संख्या-354/पांच-6-2012-281(निर्माण)/10 दिनांक 30.03.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.07.2005, 31.03.2008 व 31.03.2012 द्वारा प्राथ0स्वा0केन्द्र, अरौल, कानपुर नगर के भवन निर्माण कार्य के लिये क्रमशः रू0-36.84 लाख, रू0 45.60 व रू0 58.03 लाख लागत स्वीकृति की गयी। पुनः उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-76.61 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के आधार पर प्राथ0स्वा0केन्द्र, अरौल, कानपुर नगर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-76.61 लाख (रूपया छिहत्तर लाख इक्सठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं रू0-18.58 लाख (रूपया अट्ठारह लाख अट्ठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-यू.ओ.-621/26-ब.प्र.-2005 दिनांक 27.07.2005, शासनादेश संख्या-234/26-ब.प्र.-2008-159(निर्माण)/2006 दिनांक 31.03.2008 व शासनादेश संख्या-354/पांच-6-2012-281(निर्माण)/10 दिनांक 30.03.2012 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10)प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11)कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 06 माह के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(12)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-789-अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन (जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 235 /2016/ 1419 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर।
9- निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
10- इकाई प्रभारी, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4/ समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में। वेबसाइट हेतु।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-35(निर्माण)/16

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कानपुर नगर, रायबरेली व सुल्तानपुर के 05 प्राथ0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9665/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 19.08.2016 व पत्र संख्या-9713/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 23.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-34/1718/पांच-6-14-9(निर्माण)/14, दिनांक 28.08.2014 व शासनादेश संख्या-88/2015/3017/पांच-6-14-9(निर्माण)/14, दिनांक 19.01.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्राथ0स्वा0केन्द्र स्योढारी कानपुर नगर, प्राथ0स्वा0केन्द्र जलालपुरघई रायबरेली, प्राथ0स्वा0केन्द्र खागीपुरसइवा रायबरेली, प्राथ0स्वा0केन्द्र राजापुर सीवान रायबरेली व प्राथ0स्वा0केन्द्र अझुई सुल्तानपुर के भवन निर्माण कार्य के लिये प्रति प्राथ0स्वा0केन्द्र रू0-98.43 लाख की दर से मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त उक्त प्राथ0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये पी0एफ0ए0डी0 द्वारा क्रमश रू0-168.63 लाख, रू0-167.69 लाख, रू0-169.84 लाख, रू0-169.35 लाख व रू0-158.58 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के आधार पर प्राथ0स्वा0केन्द्र स्योढारी कानपुर नगर, प्राथ0स्वा0केन्द्र जलालपुरघई रायबरेली, प्राथ0स्वा0केन्द्र खागीपुरसइवा रायबरेली, प्राथ0स्वा0केन्द्र राजापुर सीवान रायबरेली व प्राथ0स्वा0केन्द्र अझुई सुल्तानपुर के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये क्रमशः रू0-168.63 लाख (रूपया एक करोड़ अड़सठ लाख तिरसठ हजार मात्र), रू0-167.69 लाख (रूपया एक करोड़ सड़सठ लाख उन्हत्तर हजार मात्र), रू0-169.84 लाख (रूपया एक करोड़ उन्हत्तर लाख चौरासी हजार मात्र), रू0-169.35 लाख (रूपया एक करोड़ उन्हत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) व रू0-158.58 लाख (रूपया एक करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं मूल लागत व पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि क्रमशः रू0-70.20 लाख (रूपया सत्तर लाख बीस हजार मात्र), रू0-69.26 लाख (रूपया उन्हत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र), रू0-71.41 लाख (रूपया इक्हत्तर लाख इक्तालिस हजार मात्र), रू0-70.92 लाख (रूपया सत्तर लाख बानबे हजार मात्र) व रू0-60.15 लाख (रूपया साठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-34/1718/पांच-6-14-9(निर्माण)/14, दिनांक 28.08.2014 व शासनादेश संख्या-88/2015/3017/पांच-6-14-9(निर्माण)/14, दिनांक 19.01.2015 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि; व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-9/2016-सर्विस टैक्स दिनांक 01.03.2016 के अनुसार दिनांक 01.03.2015 से पूर्व के स्वीकृत कार्य, चाहे इन कार्यों की लागत पुनरीक्षित की गयी हो तथा दिनांक 01.03.2015 उपरान्त धनराशि प्राप्त हुई हो, पर सर्विस टैक्स की देयता नहीं होने के कारण सर्विस टैक्स की धनराशि अनुमन्य नहीं की गयी है।

(10)प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(11)प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12)कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 06 माह के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(13)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(14)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-04 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 936 /2016/2096 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर, रायबरेली व सुल्तानपुर ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर, रायबरेली व सुल्तानपुर ।
9- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ /उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/ उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
10- संबंधित परियोजना अभियन्ता/प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ /उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/ उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर नगर, रायबरेली व सुल्तानपुर।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4/ समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।/ [illegible] हेतु।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-06(निर्माण)/11

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथ0स्वा0केन्द्र, सैलई, कासगंज के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9041/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 04.07.2016 तथा शासनादेश संख्या-2274/पांच-6-2006-एस0एन0डी0-19/06टी0सी0-3 दिनांक 01.05.2006 व शासनादेश संख्या-282/पांच-6-2013-06(नि0)/11 दिनांक 07.02.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 01.05.2006 द्वारा प्राथ0स्वा0केन्द्र, सैलई, कासगंज के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-39.11 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश दिनांक 07.02.2013 द्वारा रू0- 70.19 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति निर्गत की गयी। पुनः उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-93.52 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के आधार पर प्राथ0स्वा0केन्द्र, सैलई, कासगंज के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-93.52 लाख (रूपया तिरानबे लाख बावन हजार मात्र) की पुनः पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं पुनरीक्षित लागत व पुनः पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0-23.33 लाख (रूपया तेइस लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2274/पांच-6-2006-एस0एन0डी0-19/06टी0सी0-3 दिनांक 01.05.2006 व शासनादेश संख्या-282/पांच-6-2013-06(नि0)/11 दिनांक 07.02.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य

बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10)प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11)कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 06 माह के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(12)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-04 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 937 /2016/ 1665 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कासगंज।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
10- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कासगंज।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4/ समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।